



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1314]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 2019/चैत्र 8, 1941

No. 1314]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 2019/CHAITRA 8, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

का.आ. 1478(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित, विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत प्रणाली) 2017, अनुसूची -1 (आयात नीति) के अध्याय 7 की मदों की आयात नीति में एतद्वारा निम्नवत अधिसूचित करती है -

एकजिम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति की स्थिति
0713 3110	एसीपीपी विगना मूंगो की बीन्स (एल) हेपर	प्रतिबंधित	विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार मूंग का आयात 1.5 लाख मी.टन के वार्षिक (वित्त वर्ष) कोटा के अध्यक्षीन होगा : बशर्ते कि यह प्रतिबंध किसी द्विपक्षीय या क्षेत्रीय करार समझौता ज्ञापन के तहत सरकार की आयात संबंधी प्रतिबद्धता पर लागू नहीं होगा।
0713 90 10	स्प्लिट		
0713 90 90	अन्य		

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं.14/3/2018-ईपी(एग्री-III)]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 जनवरी 2017 के का.आ. संख्या 172(अ) के तहत दिनांक 17 जनवरी 2017 की अधिसूचना संख्या 36/2015-20 के तहत जारी की गई थी और उसमें पिछला संशोधन दिनांक 4 मई, 2018 के का.आ. संख्या 1826(अ) के तहत दिनांक 4 मई, 2018 की अधिसूचना सं. 06/2015-20 के तहत किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2019

S.O. 1478(E).—In exercise of powers conferred by section 3 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies the Import Policy of items of Chapter 7 of the Indian Trade Classification (Harmonized System), 2017, Schedule-1 (Import Policy), as under-

Exim Code	Item Description	Existing Policy condition	Revised Policy condition
0713 31 10	Beans of the SPP Vigna Mungo (L.) Hepper.	Restricted.	Import of Moong shall be subject an annual (fiscal year) quota of 1.5 lakh MT as per procedure to be notified by Directorate General of Foreign Trade:- Provided that this restriction shall not apply to Government's import commitments under any Bilateral or Regional Agreement or Memorandum of Understanding.
0713 90 10	Split		
0713 90 90	Other		

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

[F.No. 14/3/2018-EP(Agri-III)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note : The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and last amended *vide* notification No. 06/2015-2020 dated the 4th May, 2018 which was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 1826 (E), dated the 4th May, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

का.आ. 1479(अ).—समय पर यथासंशोधित, विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत प्रणाली) 2017, अनुसूची -1 (आयात नीति) के अध्याय 7 की मदों की आयात नीति की स्थिति में एतद्वारा निम्नवत संशोधन करती है -

एक्जिम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीति की स्थिति	संशोधित नीति की स्थिति
0713 1000	मटर (पाइसम सैटाइवम) पीली मटर, हरी मटर, दून मटर और कास्पा मटर सहित	प्रतिबंधित	दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च, 2019 तक प्रतिबंधित	विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए लाइसेंस हेतु कुल 1.5 लाख मी.टन मटर की कुल मात्रा की अनुमति दी जाएगी
0713 90 10	स्प्लिट			
0713 90 90	अन्य			

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगी।

[फा. सं.14/3/2018-ईपी(एग्री-III)]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 जनवरी 2017 के का.आ. संख्या 172 (अ) के तहत दिनांक 17 जनवरी 2017 की अधिसूचना संख्या 36/2015-20 के तहत जारी की गई थी और उसमें पिछला संशोधन दिनांक 28 सितम्बर, 2018 के का.आ. संख्या 6364(अ) के तहत दिनांक 28 सितंबर, 2018 की अधिसूचना सं. 36/2015-20 के तहत किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2019

S.O. 1479(E).—In exercise of powers conferred by section 3 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Import Policy Conditions of items of Chapter 7 of the Indian Trade Classification (Harmonized System), 2017, Schedule-1 (Import Policy), as under -

Exim Code	Item Description	Existing Policy	Existing Policy condition	Revised Policy condition
0713 1000	Peas (Pisum Sativum) including Yellow peas, Green peas, Dun peas and Kaspas peas.	Restricted	Restricted for the period from 1 st January, 2019 to 31 st March, 2019.	During the period from 1 st April, 2019 to 31 st March, 2020, total quantity of 1.5 Lakh MT of Peas shall be allowed against license as per the procedure to be notified by Directorate General of Foreign Trade.
0713 90 10	Split			
0713 90 90	Other			

2. This notification shall come into force with effect from the 1st April, 2019.

[F.No. 14/3/2018-EP(Agri-III)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note : The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and last amended vide notification S.O. 6364 (E), dated the 28th December, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

का.आ. 1480(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित, विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत प्रणाली) 2017, अनुसूची -1 (आयात नीति) के अध्याय 7 की मदों की आयात नीति को एतद्वारा निम्नवत अधिसूचित करती है -

एक्जिम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति की स्थिति
0713 31 90	एसीपीपी विगना रेडिएटा(एल) विल्कजेक की बीन्स	प्रतिबंधित	विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार उड़द का आयात 1.5 लाख मी.टन के वार्षिक (वित्त वर्ष) कोटा के अधयधीन होगा: बशर्ते कि यह प्रतिबंध किसी द्विपक्षीय या क्षेत्रीय करार या समझौता ज्ञापन के तहत सरकार की आयात संबंधी प्रतिबद्धता पर लागू नहीं होगा।
0713 90 10	स्प्लिट		
0713 90 90	अन्य		

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं.14/3/2018-ईपी(एग्री-III)]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 जनवरी 2017 के का.आ. संख्या 172(अ) के तहत दिनांक 17 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 36/2015-20 के तहत जारी की गई थी और उसमें पिछला संशोधन दिनांक 4 मई, 2018 के का.आ. संख्या 1826(अ) के तहत दिनांक 4 मई, 2018 की अधिसूचना सं. 06/2015-20 के तहत किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2019

S.O. 1480(E).— In exercise of powers conferred by section 3 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies the Import Policy of items of Chapter 7 of the Indian Trade Classification (Harmonized System), 2017, Schedule-1 (Import Policy), as under-

Exim Code	Item Description	Existing Policy condition	Revised Policy condition
0713 31 90	Beans of the SPP Vigna Radiata (L.) Wilczek.	Restricted.	Import of Urad shall be subject to an annual (fiscal year) quota of 1.5 lakh MT as per procedure to be notified by Directorate General of Foreign Trade: - Provided that this restriction shall not apply to Government's import commitments under any Bilateral or Regional Agreement or Memorandum of Understanding.
0713 90 10	Split		
0713 90 90	Other		

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No. 14/3/2018-EP(Agri-III)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note: The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and last amended *vide* notification No. 06/2015-2020 dated the 4th May, 2018 which was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 1826 (E), dated the 4th May, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

का.आ. 1481(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित, विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत प्रणाली) 2017, अनुसूची -1 (आयात नीति) के अध्याय 7 की मदों की आयात नीति में एतद्वारा निम्नवत अधिसूचित करती है -

एक्जिम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति की स्थिति
0713 6000	पिजन पीज (कैजेनस कैजन) तूर दाल	प्रतिबंधित	डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार पिजन पीज (कैजनस/तूर दाल) का आयात 02 लाख मी.टन के वार्षिक (वित्त वर्ष) कोटा के अध्याधीन होगा:
0713 90 10	स्प्लिट		बशर्ते कि यह शर्त किसी द्विपक्षीय या क्षेत्रीय करार या समझौता ज्ञापन के तहत सरकार की आयात संबंधी प्रतिबद्धता पर लागू नहीं होगी।
0713 90 90	अन्य		

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगी।

[फा. सं.14/3/2018-ईपी(एग्री-III)]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 जनवरी, 2017 के का.आ. संख्या 172 (अ) के तहत दिनांक 17 जनवरी 2017 की अधिसूचना संख्या 36/2015-20 के तहत जारी की गई थी और उसमें पिछला संशोधन दिनांक 4 मई, 2018 के का.आ. संख्या 1826(अ) के तहत दिनांक 4 मई, 2018 की अधिसूचना सं. 06/2015-20 के तहत किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2019

S.O. 1481(E).—In exercise of powers conferred by section 3 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies the Import Policy of items of Chapter 7 of the Indian Trade Classification (Harmonized System), 2017, Schedule-1 (Import Policy), as under -

Exim Code	Item Description	Existing Policy condition	Revised Policy condition
0713 60 00	Pigeon Peas (Cajanus Cajan)/ Toor Dal.	Restricted	Import of Pigeon Peas (Cajanus Cajan)/ Toor Dal shall be subject to an annual (fiscal year) quota of 02 lakh MT as per procedure to be notified by Directorate General of Foreign Trade : Provided that this restriction shall not apply to Government's import commitments under any Bilateral or Regional Agreement or Memorandum of Understanding.
0713 90 10	Split		
0713 90 90	Other		

2. This notification shall come into force from the 1st April, 2019.

[F. No. 14/3/2018-EP(Agri-III)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note : The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and last amended *vide* notification No. 06/2015-2020 dated the 4th May, 2018 which was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 1826 (E), dated the 4th May, 2018.